प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 02.06.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

कोतवाली सदर पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा, साइबर ठगी की विभिन्न शिकायतों से संबंधित ऑनलाइन धोखाधड़ी कर निकाली गई 97,356.4 रुपये की धनराशि को पीड़ित पक्षों को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली सदर पुलिस की सर्विलांस टीम व साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा विभिन्न शिकायतों से संबंधित ऑनलाइन धोखाधड़ी कर निकाली गई 97,356.4 रुपये की धनराशि को पीड़ित पक्षों को वापस कराया गया।

धनराशि का विवरण-

धनराशि का विवरण -

1. श्री राजेश	- कुल धनराशि 2200/- रुपये	— Internet Banking
2. श्री वैभव वर्मा	- कुल धनराशि 3000/- रुपये	— Loan through App
3. श्री गौरव मन्होत्रा	- कुल धनराशि 15,000/- रुपये	— Credit Card
4.श्री अश्वनी कुमार	- कुल धनराशि 7100/- रुपये	— Phone Pay
5. श्री आदर्श अग्रवाल	-कुल धनराशि 10,000/- रुपये	— Internet Banking
6. श्री सलमान खान	- कुल धनराशि 60056.4/-रुपये	— Credit Card

<u>थाना पढुआ पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना पढुआ श्री हरिकेश राय के कुशल मार्ग दर्शन में थाना पढुआ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 215/2024 धारा 380/411 भादवि थाना पढुआ जनपद खीरी में वांछित चल रहे अभियुक्त रिजवान पुत्र जानेआलम निवासी गजियापुर मजरा ढखेरवा नानकार थाना पढुआ जिला खीरी को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर औघड़ बाबा मन्दिर के पास से समय 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रिजववान उपरोक्त से बरामद तमंचा/कारतूस के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है ।

<u>नाम पता अभियुक्त –</u>

रिजवान पुत्र जानेआलम निवासी गजियापुर मजरा ढखेरवा नानकार थाना पढुआ जिला खीरी

<u>अभि0 को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण</u>

1.उ0नि0 अभिषेक सिंह चौकी प्रभारी पढुआ थाना पढुआ खीरी
2.हे0का0 अबरार हुसैन थाना पढुआ खीरी
3.का0 योगेन्द्र कुमार थाना पढुआ खीरी

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 30 लीटर अवैध शराब बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>30 लीटर अवैध शराब</u>** बरामद कर **<u>02 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>02 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।